

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0-प्र0-I-अरा0-III(क्षे0वि0)-22/13-2315/एम0, पटना, दिनांक-02/04/26
प्रेषक,

E-mail/
निबंधित
whatsapp

भारत भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

श्री सौरभ अभिषेक,
खान निरीक्षक,
जिला खनन कार्यालय, गोपालगंज।

विषय:- स्पष्टीकरण के संबंध में।

प्रसंग:- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज का पत्रांक 153 दिनांक 25.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा प्रासंगिक पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि दिनांक 20.03.2026 को जिलान्तर्गत अवस्थित बालूघाट का निरीक्षण के क्रम में प्रभारी खनिज विकास पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। समाहर्ता द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि आपके अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण कार्यालय कार्य में कठिनाई हो रही है तथा राजस्व वसूली कार्य भी प्रभावित है।

अतएव निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में 24 घंटे के अन्दर अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा बरती गई अनियमितता के लिए क्यों नहीं आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन
12/04/26
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-2315/एम0, पटना, दिनांक-02/04/26

प्रतिलिपि:-खनिज विकास पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेशित किया जाता है कि श्री सौरभ अभिषेक, खान निरीक्षक को पत्र का अविलंब तामिला कराना सुनिश्चित किया जाए।

12/04/26
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-2315/एम0, पटना, दिनांक-02/04/26

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

12/04/26
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-2315/एम0, पटना, दिनांक-02/04/26

प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/04/26
सरकार के अपर सचिव